

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>मंगलाराम बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या : 13/2022</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>15-02-22</p>	<p>अपीलार्थी मंगलाराम बेनीवाल, पता ग्राम पोस्ट बेनीवालों की ढाणी, कुरछी, खींवसर जिला नागौर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 11.11.2021 में उसके द्वारा (1) उपखण्ड अधिकारी कृषि भूमि रूपान्तरण जोधपुर द्वारा माह दिसम्बर 1989 में जारी प्रत्येक पट्टे का विवरण प्रदान करान जिसमें पट्टा क्रमांक, पट्टा जारी करने की दिनांक, प्रार्थी का नाम जिसे पट्टा जारी किया गया व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 148 दिनांक 07.02.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, अभिलेख शाखा कार्यालय हाजा से संबंधित होने से धारा 5(4) के तहत कार्यालय के पत्रांक 1557 दिनांक 25.11.2021 द्वारा सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया, परन्तु प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अभिलेख अनुभाग से अभी तक अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। रिपोर्ट में आगे यह भी बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, अभिलेख शाखा द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से धारा 5(5) के तहत उन्हें लोक सूचना अधिकारी मानते हुए प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान करने की इस्तदुआ की।</p> <p>चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अभिलेख शाखा कार्यालय हाजा से संबंधित है तथा प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रभारी अधिकारी, अभिलेख शाखा कलक्टर कार्यालय जोधपुर को लोक सूचना अधिकारी मानते हुए इन्हें निर्देशित किया जाता है कि द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	